प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री दाताराम बंसल

उप0।

फरियादी तुलाराम एवं बालाराम उप0। प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत

है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपी राकेश जाटव के विरुद्ध भादस की धारा 294,323/34 दो शीर्ष एवं 506 भाग—2 एवं आरोपीगण पंकज जाटव एवं विजय जाटव के विरुद्ध भादस की धारा 294,323,323/34 एवं 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हे। राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया जा चुका है। फरियादी एवं आहत ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी राकेश जाटव को भादस की धारा 294,323/34 दो शीर्ष एवं 506 भाग—2 एवं आरोपीगण पंकज जाटव एवं विजय जाटव को भादस की धारा 294,323,323/34 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

> प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. कृ.1–

कृ.2−

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी व्रण्डपीठ क्0 21 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 A SUNTA

AND PARENTAL SUNTAL PARENTAL P